पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-02.04.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री संतोष कुमार, स०वि०स० श्री गजानन्द शाही, स०वि०स० श्री राम नरेश यादव, स०वि०स० श्री रण विजय कुमार, स०वि०स० श्री अभिराम शर्मा, स०वि०स० श्री नितिन नवीन, स०वि०स० श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री श्यामदेव पासवान, स०वि०स० श्री अमन कुमार, स०वि०स०	"बक्सर जिला के मुफ्फसिल थाना काण्ड 95/97 दिनांक-05.08.1995 को अपराधियों के साथ मुठभेड़ में शामिल गृह रक्षकों को विभागीय अनुशंसा के बाद प्रोन्नति समिति के निर्णय के आलोक में आरक्षी महानिदेशक के पत्रांक-1043 दिनांक-15.01.98 द्वारा दिनांक-03.08.1998 को 15 गृह रक्षकों की नियुक्ति आरक्षी पद पर हुई । परन्तु महानिदेशक के पत्रांक-3798 दिनांक-22.08.2002 के आलोक में विभिन्न जिलादेशों द्वारा दिनांक-19.09.2003 को इनकी सेवा समाप्त कर दी गयी । इसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका-955/04 में दिनांक-13.09.2005 को पारित आदेश के बाद एल.पी.ए. हेतु मुख्यालय के इन्कार के पश्चात् दिनांक-31.08.96 को इनकी पुनर्नियुक्ति हुई । परन्तु बिना कारण पृच्छा पूछे पुलिस अधीक्षक, बक्सर ने दिनांक-21.10.2006 को इन्हें फिर बर्खास्त कर दिया जबकि सदृश कोर्ट के निर्णयानुसार भभुआ सहित अन्य जिलों में नियुक्त आरक्षी अभी कार्यरत हैं । इस बर्खास्तगी के विरूद्ध दायर याचिका-11128/07 एवं 16168/07 में दिनांक-22.01.2013 को कोर्ट ने फिर पुनर्नियुक्ति का आदेश दिया । किन्तु इन्हें नियुक्त करने की जगह पुलिस अधीक्षक ने एल.पी.ए. दायर करने की अनुमति मुख्यालय से माँगी है । अत: एल.पी.ए. दायर करने की अनुमति नहीं देकर बर्खास्त आरक्षी को शीघ्र नियुक्त करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	गृह (आरक्षी)

1	2	3	4
2.	श्री वीरेन्द्र सिंह, स०वि०स० श्री राहुल कुमार, स०वि०स० श्री ललन राम, स०वि०स० श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी, स०वि०स० श्री रामानन्द राम, स०वि०स० श्री सतीश चन्द्र दूबे, स०वि०स० श्री सत्यदेव सिंह, स०वि०स०	"चिल्ड्रेन एण्ड चेरीटेबुल ट्रस्ट" बोध गया एवं "हैप्पी साइन्स बोध गया इण्डिया ट्रस्ट" (निबंधन कार्यालय, गया से गैर सरकारी संस्था के रूप में निबंधित) के महासचिव श्री सुदामा कुमार, महामाया होटल, बोध गया द्वारा मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा, दान एवं विदेशी धन प्राप्त कर गलत तरीके से इसका उपयोग निजी सम्पत्ति बनाने में किया जा रहा है । हाल के वर्षों में श्री सुदामा कुमार द्वारा बोध गया नगर पंचायत अन्तर्गत हरिहरपुर में तीन बीघा जमीन, मौनिया के निकट एक बीघा जमीन, बोध गया रूट इन्स्टीच्यूट के निकट डेढ़ कट्ठा जमीन, महामाया होटल, महामाया पैलेस, बोध गया के मोरा टाल में पांच बीघा जमीन, सहदेव खाप से कोशिला रोड पर 20 बीघा जमीन, परसावा में आठ बीघा जमीन, दिल्ली के अग्रवाल स्क्वायर प्लाजा प्लॉट नं.-8 पौकेट नं.-07, सेक्टर-12 द्वारका में छः दुकान, बसन्त ऑर्केड, बसन्त कुंज के द्वितीय तल पर कार्यालय क्रय किया गया । मन्दिर निर्माण के नाम पर धन प्राप्त कर इसका दुरूपयोग तथा गैर सरकारी संस्था के उद्देश्य से विपरीत कार्य कर संबंधित अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है । अतएव पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई से कराने तथा दोषी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अकृष्ट करते हैं ।"	गृह (आरक्षी)/ श्रम संसाधन

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/13- 373 / वि०स०, पटना, दिनांक-01 अप्रील, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह (आरक्षी) विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01/4/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/13- 373 / वि०स०, पटना, दिनांक-01 अप्रील, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

01/4/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।